

FORM No .III

फरें अहकाम  
( नियम 26 )

राज्य

मुकाम

बनाय


मुकदमा

नं.

रीक नं.	उपरोक्त मुकदमा में पत्रावली पेश की गयी है। हवम या कार्यवाही मय इनिशियट्स बज	नम्बर व तारीख पत्रावली को इस मुकदमा की तारीख में जारी हुए
------------	--	--


21/4/22

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पिठासीन  
अधिकारी का स्थानान्तरण / दौरे अवकाश में पधारें  
हैं / अन्य राजकीय में व्यस्त है / अतः अवकाश  
पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 05/7/22 को पेश हो।

  
अज्ञा से  
रीडर


05/7/22

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पिठासीन  
अधिकारी का स्थानान्तरण / दौरे अवकाश में पधारें  
हैं / अन्य राजकीय में व्यस्त है / अतः अवकाश  
पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 24/4/23 को पेश हो।

  
अज्ञा से  
रीडर

4/1/23

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पिठासीन  
अधिकारी का स्थानान्तरण / दौरे अवकाश में पधारें  
/ अन्य राजकीय में व्यस्त है / अतः अवकाश  
पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 11/3/23 को पेश हो।

  
अज्ञा से  
रीडर

13/7/23

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पिठासीन  
अधिकारी का स्थानान्तरण / दौरे अवकाश में पधारें  
हैं / अन्य राजकीय में व्यस्त है / अतः अवकाश  
पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 13/7/23 को पेश हो।

तारीख  
हुरम

हुरम या कार्यवाही मय इतिशियलम जज

लगात गाने हे व नील पाणी नी  
बक सुनी गरी। कः परागती ~~रही~~  
स्वीकार की गाने हे निराद पृथक  
से निरुदीना गाना

पत्रावली फेहल सुनाए कोक  
नहर से कठ डी।

ॐ

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला शाहपुरा

पीठासीन अधिकारी नेहा श्रीमा आर०ए०एस०

मुकदमा नम्बर - 117/2020 राजस्व प्रार्थना पत्र

## उपनाम

- 1- देवी पिता हजारी गुजर निवासी भट खेड़ी मुशी तहसील बनेड़ा।
- 2- हगामी पत्नी घीसा गुजर निवासी भट खेड़ी मुशी तहसील बनेड़ा।
- 3- चान्दु पत्नी सोहन गुजर निवासी भट खेड़ी मुशी तहसील बनेड़ा।
- 4- लाडु देवी बेवा बन्ना गुजर निवासी भट खेड़ी मुशी तहसील बनेड़ा।

--प्रार्थीगण

## बनाम

- 1- हगामी पत्नी घीसा गुजर निवासी मुशी तहसील बनेड़ा।
- 2- सोहन पिता हजारी गुजर निवासी मुशी तहसील बनेड़ा।
- 3- तहसीलदार बनेड़ा।
- 4- आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा रायला।
- 5- बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा बनेड़ा तहसील बनेड़ा।

--अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111--128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता प्रार्थी:- कृष्ण कुमार जीनगर

## निर्णय

दिनांक :- 13/09/2023

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111--128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मुशी पटवार हल्का मुशी भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र उपरेड़ा तहसील बनेड़ा में स्थित खाता सं. 194 के आराजी नम्बर 2982/321, 3008/325 कुल किता 2 रकबा 2.4028 है० भूमि के खालेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 ग्राम मुशी पटवार हल्का मुशी भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र उपरेड़ा तहसील बनेड़ा में स्थित खाता सं. 194 के आराजी नम्बर 2982/321, 3008/325 कुल किता 2 रकबा 2.4028 है० भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज होकर है। प्रार्थीगण अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा

न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम मुशी पटवार हल्का मुशी भूअनिरीक्षक क्षेत्र उपरेड़ा तहसील बनेड़ा में स्थित खाता सं. 194 के आराजी नम्बर 2982/321, 3008/325 कुल किता 2 रकबा 2.4028 है 0 भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भूअनिरीक्षक उपरेड़ा को 1000/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस तामिल करा उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावे। पत्थरगढी से पूर्व उभयपक्षकारान की लिखित सहमति प्राप्त ली जावे। लिखित सहमति पश्चात उनकी उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न जावें अन्यथा नहीं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावे। अतः भूअनिरीक्षक उपरेड़ा जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बनेड़ा को पालना हेतु लिखा जावे। आदेश की पालना अपील अवधि समाप्ति पश्चात ही की जावे। अपील अवधि के भीतर आदेश की पालना नहीं की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13-09-2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट मुख्यालय पर सुनाया गया।

(~~ब्रह्म~~ छीपा)  
उपखण्ड अधिकारी  
बनेड़ा जिला शाहपुरा